UPMO010020162026

**<u>न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद</u>**

**सिविल मिस0 (टी0ए0) संख्या–90/2026**

**तेज कुमार आदि बनाम बुद्धु सिंह।**

**<u>02–04–2026</u>**

1– पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के हासिये पर ''कोइ आपत्ति नहीं है।'' की टिप्पणी अंकित की गयी है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 3ग पर सुना।

4. प्रार्थीगण तेज कुमार आदि की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–3ग, अन्तर्गत धारा–24 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध नया वाद संख्या–646/2023 (पुराना वाद संख्या–964/2019) तेज कुमार आदि बनाम बुद्धु सिंह योजित किया, जो लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 18.03.2026 की तिथि नियत है तथा विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध नया वाद संख्या–980/2018, वाद संख्या–1063/2024 बुद्धु सिंह बनाम तेजकुमार आदि योजित किया, जो सिविल जज (सी0डि0)मुरादाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दोनों वाद एक ही सम्पत्ति से संबंधित हैं, जो अलग–अलग न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा दोनों वादों में पक्षकार भी एक ही हैं। न्यायहित में उक्त उक्त दोनों वादों को सुनवाई हेतु एक ही न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आधारों पर उपरोक्त पत्रावलियों को किसी एक ही न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

5. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के हासिये पर ''कोई आपत्ति नहीं है'' की टिप्पणी अंकित की गयी है।

6. सुना। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालयों से आख्या आहूत की गयी। प्रश्नगत दोनों वादों को एक

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.04.02 18:08:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ही सम्पत्ति से संबंधित होना प्रकट किया गया है। पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी संख्या–01 द्वारा पत्रावलियों को किसी एक न्यायालय में अन्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3ग स्वीकार किया जाता है तथा मूलवाद संख्या–646 / 2023,(पुराना वाद संख्या–964 / 2019) तेज कुमार आदि बनाम बुद्धु सिंह, को न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, मुरादाबाद से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद में विधि अनुरूप निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

दिनांक 02.04.2026

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।